

प्रषक,
क0क0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
महोबा/ प्रतापगढ़।

१०-१

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में कड़ाके की ठण्ड एवं पाले के कारण पान की खेती के नष्ट होने से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु आपदा राहत निधि से धनावटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में कड़ाके की ठण्ड एवं पाले के कारण पान की खेती के नष्ट होने से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु0 2,18,856/- (रुपये दो लाख अठारह हजार आठ सौ छप्पन मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मद	धनराशि (लाख रु0 में)	जिलाधिकारी का संदर्भ पत्र
1	महोबा	कृषि निवेश अनुदान	1,18,856/-	859/सी0आर0ए0-13-द0आ0/2010-11 दिनांक 22.03.2011
2	प्रतापगढ़	कृषि निवेश अनुदान	1,00,000/-	298/सी0आर0ए0-द0आ0-2011 दिनांक 23.03.2011
योग			2,18,856/-	

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि बाढ़/अति दृष्टि से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइड लाइन संख्या 32-34/2007-एन0डी0एम0-1 दिनांक 27 जून, 2007 के अइटम न0 3 के च (1) में दिये गये मानकों के अनुसार वितरित किया जाएगा यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय।

4. वर्ष 2010-11 में कृषि निवेश मद में 31 मार्च, 2010 तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6
5
4
3
2
1
0

5. उक्त स्वीकृत धनराशि कबन इस दिनांक 08.10.2010 आगामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व उर्ध्व व दायिन्दा का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

6. राहत की धनराशि की प्रमाण एक व्यक्ति को प्रमाण के प्रमाण के रूप में प्रतीति पर वैधानिक लक्षणों पर राम प्रधान व वन्ताओं प्राप्त धन इस अभिलेख में रखा जाये। विवरित लक्षणों को सूची राम सेवा के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी और राम सेवा की अगली सूची बतलाने में इन प्रमाण सुनिश्चित भी जाये।

7. कार्यपत्र प्रकरण में यह भी ध्यान में आये है कि आवंटित धनराशि एक मुक्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इच्छा को ली जाती है। यह स्थिति वांछित नहीं है। निधि से प्रदान धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। उक्त आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध करना तथा इसके सहायता सुनिश्चित करना, व्यय के पूर्ण विवरण शासन का निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना जिम्मेदारियों का कर्तव्य है। उक्त आपदा राहत निधि से प्रदान धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लखा-जाखा रखा जाये तथा माह के अन्त में लखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और महानगर मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा-11 दिनांक 20 जून 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत संभावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च 2011 से पूर्व शासन का समर्पित कर दिया जाये।

9. उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-05 दिनांक हस्तपुस्तिका खण्ड-6 भाग-1 के अन्तर्गत-108 एवं 109 के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रमाण-05 एवं 108 में शासन का शासन दिनांक रखा जाये।

10. यदि कोई व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के कारण से राहत में सुनिश्चित प्रमाण के रूप में लखा तथा में भ्रष्टाचार के कारण से आवंटित धनराशि पर लखा प्रमाण के कारण शासन का सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(क0क00 सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-993/1-10-2011-14(63)/2010 टी0सी0 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालखाकार-प्रथम/आडित प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त इलाहाबाद/ चित्रकूट मण्डल।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ का इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ विस्त एवं लखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय/ प्रतापगढ़।

विस्त विषय निदेशिका अनुभाग-5

खण्ड अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।

साइल।

आज्ञा से

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)

सदस्य सचिव